



# भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय



शांति मार्ग श्यामला हिल्स भोपाल

Website: [www.bsgmp.net](http://www.bsgmp.net) mail: [scoutguide\\_bpl@dataone](mailto:scoutguide_bpl@dataone) phone 2661263, fax: 2737446

क्रमांक/7316/रा.मु/पंजीयन /2014  
प्रति

भोपाल दिनांक 28.3.14

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आ.वि.  
पदेन- जिला कमिश्नर (स्काउट)  
जिल कार्यालय..... म.प्र.

विषय- वर्ष 2012-2013 एवं 2013-14 की लम्बित दल पंजीयन की राशि एवं सेंसस भेजने विषयक ।

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि वर्ष 2012.13 एवं 2013-14 विद्यालयों से दल पंजीयन/कोटामनी/अंशदान की राशि दलों की सूची एवं सेंसस इस कार्यालय के खाता क्रमांक 32108307490 में भेजते हुए प्रतिलिपि संभागीय कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें, जिसके आधार पर आपके चार्टर तैयार कर आपकी ओर भेजे जा सकें । सूची का प्रारूप निम्नानुसार है :-

जिले का नाम ..... विभाग का नाम स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर (पंजीयन प्रोफार्मा)

क्र.	शाला का नाम	विकास खण्ड	दल का नाम	दल में छात्र/छात्रा	पंजीयन/नवीनीकरण 30/-प्रति दल	कोटामनी 15/- प्रति स्काउट गाइड	वर्षिक आय का पांच प्रतिशत अंशदान	व्यस्क कोटामनी 15/- प्रति वयस्क	पत्रिका वार्षिक 150/- आजीवन 1500/-	योग

सेंसस प्रोफार्मा

क्र.	दल	दल संख्या	दल के छात्र/छात्रा संख्या	कोटामनी 15/- प्रति स्काउट/गाइड	पंजीयन/नवीनीकरण 30/- प्रति दल	अंशदान	व्यस्क कोटामनी 15/- प्रति	योग
1	स्काउट विभाग							
2	गाइड विभाग							
3	रोवर विभाग							
4	रेंजर विभाग							
	योग							

अतः उक्त प्रारूप में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की दल पंजीयन/नवीनीकरण/अंशदान/एवं पत्रिका की लंबित राशि राज्य मुख्यालय को मेल द्वारा एवं राशि उक्त खाता नंबर खाता क्रमांक 32108307490 में अविलंब जमा करते हुए कार्यालय को सूचित करें ।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

भोपाल दिनांक/ 28/3/14

पृ.क्रमांक/7317/रा.मु/पंजीयन/2014

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

01- राज्य मुख्य आयुक्त राज्य मुख्यालय भोपाल ।

01- सयुक्त सचालक लोक शिक्षण/उपायुक्त आ.वि संभाग संभागीय कार्यालय..... म.प्र.

02- सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट/गाइड संभागीय कार्यालय.....म.प्र. को निर्देशित किया जाता है कि आप जिलों से प्राप्त सूची के आधार पर चार्टर तैयार कर संबंधित जिलों को भेजना सुनिश्चित करें ।

03- जिला संगठक आयुक्त स्काउट/गाइड जिला संघ कार्यालय म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त प्रपत्रानुसार अपने जिले की पंजीयन/नवीनीकरण/अंशदान राशि भेजना सुनिश्चित करें ।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.